स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

Rajasthan Legal Service Council
Jaipur

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./38

दिनांक : 26/12/2022

"आम सभा की सूचना"

जैसा कि राजस्थान विधि सेवा परिषद के सभी सम्मानीय सदस्यों को ज्ञात है, कि वर्ष 2022 में अध्यक्ष के निर्वाचन को एक प्रत्याशी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दायर कर चुनौती दी गयी थी, जिसमें निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष के साथ तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया। उक्त वाद माननीय न्यायालय में अभी भी लम्बित है।

चूंकि परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल प्रत्येक कलेण्ड़र वर्ष में दिनांक 31 दिसम्बर को समाप्त हो जाता है एवं उक्त हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति 4 नवम्बर तक होना प्रावधानित है, अतः उक्त संबंध में परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 28.10.2022 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में अध्यक्ष के आगामी चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 04.11.2022 तक किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। लम्बित वाद में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिशः पक्षकार बनाये जाने के कारण, किसी भी सम्मानीय सदस्य द्वारा निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी के पद के दायित्व निर्वहन हेतु अपनी सहमति प्रदान नहीं की गयी।

वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 31.12.2022 को समाप्त होने एवं सहमति के अभाव में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण, परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 04.11.2022 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, कि राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन पर विचार–विमर्श, परिषद के वर्तमान सदस्यों की आम सभा आयोजित कर किया जावे।

चूंकि राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार परिषद की समस्त शक्तियॉ आम सभा में निहित हैं, अतः दिनांक 28.12.2022 को दोपहर पश्चात् 1.30 बजे, शासन सचिवालय के पीछे स्थित अशोक बालोउद्यान् में राजस्थान विधि सेवा परिषद के वर्ष 2022 के सदस्यों की आम सभा रखी गयी है, ताकि उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थिति में, वर्ष 2023 हेतु अध्यक्ष निर्वाचन के संबंध में विचार–विमर्श कर, उचित निर्णय लिया जा सके।

अतः सभी माननीय सदस्यों से नियत समय एवं स्थान पर पधारने का सादर अनुरोध है।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
महासचिव